

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

जिला औषधि भण्डार गृह, ३५८१५२३५७७८ Email ID dpcudaiipur@ejmail.co.in

फोन नं. ०२४२३२८०११५०६७

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : १०६

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3 Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

दिनांक : १० - ०६ - २०१९

## निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, रोडमन इन्चलालपा पारस्तर)  
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- कम्प्यूटर मय ओपरेटर कार्य की खुली निविदा सूचना प्रकाशित करने के क्रम में।

## महोदय

पत्र के साथ संलग्न खुली निविदा सूचना छः प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। आप से अनुरोध है कि जिला उदयपुर... क्षेत्र के एक क्षेत्रीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में उक्त निविदा सूचना शीघ्र प्रकाशित करने एवं प्रकाशन का बिल राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., जयपुर भण्डार गृह ३५८१५२ ) GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3 के नाम सिजवाने का श्रम कराएं।

संलग्न: खुली निविदा सूचना की प्रति एवं सी.डी. में।

जिला औषधि भण्डार गृह उदयपुर  
DPC-OFFICER INCHARGE  
DDW, RMSC, UDAIPUR

## प्रतिलिपि :-

- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
- कार्यकारी निदेशक (Finance/Logistic), आरएमएससी, जयपुर।
- ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं निगम की वेबसाइट rmsc.health.rajasthan.gov.in पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएं।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

}  
प्रभारी अधिकारी  
जिला औषधि भण्डार गृह उदयपुर

# राजस्थान मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

फोन नं. ९३१५२३५७७८

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : १०५

जिला औषधि भण्डार गृह, ३८२५५२

Email ID: [dpcudaypur12@Gmail.com](mailto:dpcudaypur12@Gmail.com)

GSTIN- 08AAFCR2824M173 Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

दिनांक : १०/६/१९

## छुली निविदा सूचना

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष २०१९-२० के ०७ माह के लिए

कार्यालय का नाम राजस्थान मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन हेतु कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा कार्य की दर संविदा हेतु स्थानीय प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता सरकारी/फर्मों से दर संविदा (Rate Contract) हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमति मूल्य (₹) Lakhs	बोली प्रतिभूति (Bid security) (₹)	निविदा शुल्क (₹)
1.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा	३.५४	७.०८	५००.००

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित निविदा शुल्क राशि रु ५००/- का डिमाण्ड झापट / बैंकर चैक राजस्थान मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि0, जयपुर के पक्ष में बनवाकर दिनांक २६-०६-२०१९ को अपराह्न १२.०० बजे तक जिला औषधि भण्डार गृह ३८२५५२ से प्राप्त कर सकते हैं या निगम की वेबसाइट <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> डाउनलोड कर दिनांक २९-०६-२०१९ को ही अपराह्न ३.०० बजे तक जिला औषधि भण्डार गृह ३८२५५२ में जमा कराए जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उपरिथित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक २९-०६-२०१९ को सायं ३.०० बजे खोली जाएगी।

प्रभारी अधिकारी  
जिला औषधि भण्डार गृह ३८२५५२  
DPC OFFICER IN CHARGE  
DDM, RMS, UDAPUR

आनुमानित लागत ₹ 3.54 लाख

निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 500/-

बोली प्रतिभूति (Bid security) ₹ 7.08 / भुलाई

अंतिम तिथि- २७-०६-२०१९ समय:- २.oo PM

तकनीकी निविदा प्रपत्र  
कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की दर सविदा हेतु निविदा प्रस्ताव प्रपत्र

1. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के लिए निविदा प्रस्ताव:-
2. निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, .....
3. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लोणडलाईन, मोबाइल व ई-मेल सहित एवं पेन नम्बर .....
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर .....
5. किसको संबोधित किया गया – प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह .....
6. निविदा प्रस्तावमध्यना संदर्भ क्रमांक १०५ दिनांक १०-०६-२०१९
7. हम प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह ३८८८५२ द्वारा जारी की गई निविदा प्रस्ताव सूचना संख्या १०५ दिनांक १०-०६-२०१९में चर्चित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त सीमित निविदा प्रस्ताव सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. सीमित निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में जॉब आधारित कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा कार्य संबंधी दरें अंकित हैं। वर्तु एवं सेवाकर (GST) की दरें पुस्तक से दर्शाई जानी हैं।
9. जॉब आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटरसेवा इकाई की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मान के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। जिला औषधि भण्डार गृह इन्डिया द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है। जॉब आधारित कम्प्यूटर कीप्रतिरक्षेवा कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें वित्तीय वर्ष २०१९-२० के ५२ माह (भुलाई २०२०) से भुलाई २०२० के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

निविदा के साथ निम्न दस्तावेज अवश्य संलग्न करे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. पेन नम्बर।
3. बैंक खाते का पूर्ण विवरण।
4. फर्म के पंजीकृत कार्यालय का पता सद्य फोन नम्बर।
5. पूर्व में समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्रांस) संलग्न है।
6. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्नतान) आधिनियम, 1970
7. कर्मचारी भविष्य निधि आधिनियम, 1952
8. कर्मचारी राज्य बीमा आधिनियम, 1948
9. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान आधिनियम, 1958 या इटिड्यन पार्टनरशिप एकट 1932 के अन्तर्गत या इटिड्यन कम्पनी एकट 1956 के अन्तर्गत

#### निविदा की शर्तें:-

1. निविदा दो भाग यथा— तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में होगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
2. निविदाएँ उन पंजीकृत फर्मों (उद्योग विभाग / सहकारिता विभाग / श्रम विभाग से पंजीकृत हो तथा उनके कार्यों/उद्देश्यों में ऐसा अंकित हो) द्वारा ही दी जानी चाहिए जो अनुबंधित कार्मिकों के राजकीय कार्यालय व संस्थाओं में कार्य करने का काम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखते हों तथा इस हेतु विभाग अथवा संस्थान से प्राप्त अनुभव / संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभवी फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों एवं कम्प्यूटर को जिला / मैडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ३६२५६५२ अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यालय में स्थापित करना होगा एवं उनके द्वारा दिये जाने वाली सेवा / संबंधित कार्य करना होगा।
4. जो भी व्यक्ति लगाये जायेंगे, उन्हें जिला / मैडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ३६२५६५२ के कार्यालय में प्राप्त: 9.30 बजे उपरित होना होगा एवं साय: 6.00 बजे तक रुकना होगा।
5. यदि सेवा-संबंधित कार्य की उक्त समय से पूर्व/पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है, तो उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो जिला / मैडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह ३६२५६५२ या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था को तत्काल उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।
7. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों का चाल-चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
8. सेवा प्रक्रिया आपूर्तिकर्ता संस्था को ही किया जावेगा। भुगतान के संबंध में इस कार्यालय का सेवा व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा।

9. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, अनुपस्थित दिनों का बेतन आनुपातिक रूप से काट लिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कहीं से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की वस्तुली ठेकेदार से की जाएगी।
10. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा।
11. उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था की होगी।
12. सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को **(Performance Security)** जारिये डिमांड फ्रापट या बैंक पे-आर्डर राजस्थान मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (*bid Security*) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।
13. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
14. सेवा सम्पादन के दौरान भैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की रिप्टि में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यवित का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।
15. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल जिला/मैडिकल कॉम्लेज ऑफिशियल गह ३५२५५२ पर राजस्थान मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. (जिला/मैडिकल कॉम्लेज ऑफिशियल भण्डार गृह का नाम...२०२२५५२५२५२) GST No ..... के ताम प्रस्तुत करने होंगे। निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता / सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।
16. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर को प्रपत्र "ब" के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो निगम द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों एवं ई.पी.एफ. /ई.एस.आई. की दरों में बढ़िकी जाती है तो कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की मजदूरी का भुगतान संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।

17. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यूए.एन./यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के यूए.एन./यूनिक आईडी नम्बर की सूची निगम को उपलब्ध करवानी होगी।

18. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा करने की सामिक्र सचिवा सम्यक्तानन्दने की उमि

जिला / मैट्टिकर्स कॉलेज औषधि अभियान का प्रयोग बालान का प्रत के अन्तर्ल माह के बिल के साथ इसके अपाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही गत माह में कम्प्यूटर ओपरेटरको किए गए भुगतान का विवरण भी आगामी माह के बिल के साथ निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा:-

३. कम्प्यूटर उपकरणों को हमेशा चालू हालत में रखा जाएगा। यदि मरम्मत आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगते की संभावना होगी तो निविदादाता को एवं तक अन्य उपकरण ब्राउज़र की जागताज़ा दिलाई जाएगी।

30 ज्ञानपरिवर्तन का लक्ष्य विद्युतीय अवधारणा होगी।

21. प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिफल प्रथम बार सफल निविदादाता द्वारा 22. ख्यालीपत्र का जन सभा उपकरण जिवेदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए।

दिया जाएगा । तत्प्रथात् विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ।

कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर प्रिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहाँ प्रिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जाएगा इसे अनुच्छेद देखें।

23. यदि कम्प्यूटर रिसर्टम इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
24. उपकरण स्थापित करने के लिए रथन एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था जिला / मैडिकल कॉम्लेज औषधि भण्डार गृह ३५८५८१ द्वारा की जाएगी। जिला / मैडिकल कॉम्लेज औषधि भण्डार गृह ३५८५८१ यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखें जा सकें।
25. यदि उपकरणों की ओरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस जिला / मैडिकल कॉम्लेज औषधि भण्डार गृह ३५८५८१ की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
26. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होगी। किसी भी माह में ०४ कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जाएगा। यह भी पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौती की जाएगी।
27. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम झुगतान नहीं किया जाएगा।
28. यदि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर किसी कारण सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो सफल निविदादाता को जिला / मैडिकल कॉम्लेज औषधि भण्डार गृह ३५८५८१ द्वारा सूचित करने पर 07 दिवस में अन्य व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करानी होगी अन्यथा सफल निविदादाता पर उचित पैनलटी लगाए जाने का अधिकार जिला / मैडिकल कॉम्लेज औषधि भण्डार गृह ३५८५८१ का होगा।
29. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का झुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिकृत्यना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक / बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का झुगतान किया जा सकेगा।
30. यदि बाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
31. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक द्वारांक
1	राजस्थान अनुबंधित शासिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य दीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (ऐन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं बाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इष्टिध्यन पार्टनरशिप एवट 1932 के अन्तर्गत या इष्टिध्यन कर्पनी एकट 1956 के अन्तर्गत				

#### कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश:-

कम्प्यूटर स्पेशिफिकेशन	
1. Machine Specifications	
A. Computer:	Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer or higher Speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard Disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB Ports, Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software licence will be borne by the contractor.
B. Printer	— Black and white Laser printer with speed 15 ppm or more, For specific needs, Dot Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
C. UPS	- Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.
2. Manpower	The Personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, Good Knowledge/Practice in word processor, spread sheets and Internet operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.

32. परिचय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुण करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;  
 (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में बुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

31. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी शिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
  - (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी विस्तीर्य या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
  - (ग) किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
  - (घ) उपापन संख्या और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
  - (इ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या तुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।
  - (झ) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
  - (ज) पिछले तीन वर्षों के दोस्रान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संख्या के साथ किसी पूर्ण नियमंभंग को या किसी अन्य उपापन संख्या द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

### 32. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संख्या या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदोय कर्तव्यों या उत्तरदायित्यों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संख्या या उसके कार्मिक हितों के विरोध में रसमझे जायेंगे, निन्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है : –

  - (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संख्या के किसी कार्मिक का निर्जी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
  - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संख्या के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संख्या की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनीतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धित, उपापन संख्या की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
  - (ग) हित के विरोध में उपापन संख्या की मानवीय, विचारीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संख्या के कार्यालय या परीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे

व्यवित की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्भिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी दृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से कायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।  
(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।  
(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान दृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।  
(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपर्याखियाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तेयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अहता कर्तोंटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तेयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

33. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन हैं।

#### 1 अपील:-

- (१) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था का कोई निष्ठा, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपर्याखों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया

जाये, विनिदिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्ति है, साप्त रूप से दर्ते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथारिथति, लोप की तारीख से दस दिनकी अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीक्रण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिदिष्ट की जाये, के भीतर सलान प्रारूप (प्रपत्र-२) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस जिसकी तरफावेजों की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल कर सकेगा।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पारी जाती है।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपरबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निवार्यों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर वाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

- (4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अधीन के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपरबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निवार्यों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर वाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा—सम्बन्ध शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तरीख से तीस दिवस के भीतर—भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्ववत् अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण आभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकती को, पूर्व—अहता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्राकृप में और ऐसी सौति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय सर्वाधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया—नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सुनवाना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का क्षास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड्डचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

34. अपील का प्रकृप — (1) राजस्थान लोक उपान में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रकृप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जिन्हें किए अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को ल्यक्षित या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

35. अपील फाइल करने के लिए फीस — (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय फ्रापट या बैंकर बैंक के रुप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

36. अपील के निपटारे की प्रक्रिया — (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी।

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समर्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और  
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुरक्षात अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या  
निरीक्षण करेगा।

- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुरक्षात अभिलेख या उनकी  
प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में  
आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क  
उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित  
किया जायेगा।

प्रभागी अधिकारी  
फृता अमित कौले ज आषधि  
DDM अधिकारी गृह

मैं/ हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा  
मैं/ हम उपर्युक्त समर्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/ रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव

फर्म का नाम व पता :—

### वित्तीय निविदा

### प्रपत्र "ब"

क्रम संख्या	रेता का नाम/ शान्तिक की शैणी	शान्तिकों को देय पारिक्रमिक जो कि प्रयोगित चलनाम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा मय संख्या			नियोक्ता का अंशदान	करन्पर्यटर विस्तार	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि ₹	GST दर प्रतिशत	कुल राशि (8+9+10+11)
		न्यूनतम मजदूरी दर	शान्तिकों की संख्या	राशि		EPF दर	ESI दर		
1	2	3	4	5	6	13.61	4.75 राशि ₹		
1	Computer with Operator (higher skilled)				7	8		9	10 11 12

हस्ताक्षर निविदादाता

### निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य / सेवा ईकाई की जहाँ कही भी आपृति की है, उस आपृति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा ईकाईयों के सतोंष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/ कास्पनी द्वारा ब्लौकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायणी में Defaulter का कोई वाद लग्भित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

A  
kademie

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Right-to-Information Act, 2001**

THE JOURNAL OF CLIMATE VOL. 22, NO. 10, OCTOBER 2009

APPLIED MATHEMATICS OF

before the first session begins.

### **2. Parties of appeal:**

- (i) Name of the applicant  
 (ii) Official Address, if any  
 (iii) Residential address:

## 2. Name and address of the respondent (S)

- ### (二) 電子管

3. Number and date of the order appeal

- Authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Prosecuting Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

- NUMBER OF ATTENDERS

Comments on the paper by S. J. Gull

- 卷之三

卷之三

卷之三

7. Frayser

卷之三

卷之三